

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय

कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उत्तरप्रदेश-272202

वेबसाइट: [www.suksn.edu.in](http://www.suksn.edu.in)



SIDDHARTH UNIVERSITY

Kapilvastu, Siddharth Nagar, U.P. 272202

Website: [www.suksn.edu.in](http://www.suksn.edu.in)

पत्रांक: 34/SUK/R&D/2024

दिनांक: 23/11/2024

## सूचना

एतद्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के पत्र संख्या 1192/सत्तर-4-2024, दिनांक 06-11-2024 के संदर्भ में एवं माननीय कुलपति महोदया के अनुमति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश के "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुसंगत शोध प्रस्ताव को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा दिनांक 05-12-2024 तक शासन को प्रेषित किया जाना है।

उक्त के संदर्भ में ऐसे शिक्षक जिन्होंने संबंधित मद में पूर्व वर्षों में कोई अनुदान प्राप्त किया है, उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है तथा रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से नियुक्त शिक्षकों के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि शोध प्रस्ताव से संबंधित शिक्षक विश्वविद्यालय में स्थायी एवं नियमित रूप से नियुक्त है।

संलग्नक:-यथोपरि।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 संकायाध्यक्ष, विज्ञान/कला/ वाणिज्य संकाय, सि०वि०वि०, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 2 निजी सचिव, सि०वि०वि०, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- 3 वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव, सि०वि०वि० कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 4 प्रभारी, कौडिंग सेल को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 5 सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०,

प्रयागराज।

2.कुलसचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 06 नवम्बर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजनान्तर्गत शोध प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुसंगत प्रस्ताव तैयार कराकर यदि संबंधित मद में पूर्व वर्षों में कोई अनुदान दिया गया है, तो उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा दिनांक 05-12-2024 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभागों/संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिये है। अतः इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय कि शोध प्रस्ताव से सम्बन्धित शिक्षक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में स्थायी एवं नियमित रूप से नियुक्त है।

भवदीय,




(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।

प्रतिलिपि : समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० को आवश्यक एवं सूचनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

  
(प्रेम कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।

प्रमाणित - R 2 D के

क. चोपड़ा पद 1

hr

19/11/24

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2-कुलसचिव  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2020

विषय:-उ0प्र0 के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए संचालित रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के दिशा निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए संचालित रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के दिशा निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

2- आपसे अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालयों से संबंधित विभागों, राजकीय महाविद्यालयों एवं अनुदानित महाविद्यालयों को इस योजना के दिशा निर्देशों की प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. संमस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को मा0 उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)  
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं  
अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए  
रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना  
के संचालन हेतु  
विभागीय दिशा निर्देश



उच्च शिक्षा विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन  
2020

**उच्च शिक्षा विभाग**  
**उत्प्र० राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं**  
**अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए**  
**रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के संचालन हेतु**  
**विभागीय दिशा निर्देश**

1. **उद्देश्य :**  
रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अंतर्गत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के नियमित शिक्षकों को विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध कार्य हेतु को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
2. **पात्रता/कार्य क्षेत्र :**
  - (1) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट परियोजना को विभाग/संस्थान स्तर पर स्थापित किया जायेगा।
  - (2) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विभागों/संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इसके लिए युवा एवं शोध में प्रमाणित रूप से सक्रिय शिक्षकों को बरीयता दी जाएगी।
  - (3) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अंतर्गत विभागों/संस्थानों में संचालित शोध परियोजना के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कार्यरत स्थायी शिक्षक परियोजना में प्रमुख शोधकर्ता (Principal Investigator) के रूप में निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करेंगे। प्रत्येक रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना में प्रमुख शोधकर्ता (Principal Investigator) के अतिरिक्त एक सह प्रमुख शोधकर्ता (Co-Principal Investigator) का होना अनिवार्य होगा।
  - (4) कोई भी कार्यरत शिक्षक एक समय में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना की केवल एक परियोजना का ही संचालन कर सकता है।
  - (5) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत संचालित शोध परियोजना की संपूर्ण जवाबदेही/जिम्मेदारी विभागों/संस्थान में कार्यरत प्रमुख शोधकर्ता (Principal Investigator) और संबद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्रमुख की होगी। एक परियोजना के सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद यदि कोई शिक्षक दूसरी परियोजना शुरू करना चाहता है, तो दो वर्ष का अंतराल आवश्यक होगा।

- (6) पूरी की गई परियोजना के शोध कार्य से कम से कम दो शोधपत्र UGC/CARE Listed (After-2016) शोध पुस्तिका (जर्नल) में प्रमुख शोधकर्ता को प्रकाशित करने होंगे।
- (7) प्रस्ताव भेजने वाले विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शोधकार्य से सम्बन्धित पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।
- (8) ऐसे शिक्षक जो आवेदन करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त हो रहे हो वह आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- (9) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के विशेष के सन्दर्भ/परिप्रेक्ष्य में बनाये गये तथा Need based Thrust Areas के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी। (भारतीय संस्कृति एवं विरासत/स्वास्थ्य/पर्यावरण/शिक्षा में तकनीकी आदि)
- (10) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत संचालित परियोजनायें (प्रोजेक्ट) सामान्यतया न्यूनतम 03 वर्ष के लिये होंगे।
- (11) योजनान्तर्गत वही प्रस्ताव अनुमन्य होंगे जो अनुसंधान/शोध कार्य/शिक्षा की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार कर सके तथा शैक्षणिक तकनीक एवं बेहतर पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण के स्तर में तथा अध्ययनरत् छात्रों द्वारा उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त कर सकने में सीधे प्रभावकारी हों।
- (12) परियोजना मद में प्राविधानित धनराशि से मूलतः पूँजीगत कार्यों के लिये वित्त पोषण नहीं किया जायेगा अर्थात् मरम्मत/निर्माण सम्बन्धी कार्य अनुमन्य नहीं होंगे।
- (13) स्ववित्त पोषित योजना के पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों के लिये इस योजनान्तर्गत वित्त पोषण नहीं किया जायेगा।
- (14) यदि प्रमुख शोधकर्ता का उसके मूल कार्य के स्थान से किसी दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण हो जाता है तो परियोजना के सुचारु कामकाज के लिए जहां प्राप्तकर्ता का स्थानांतरण हुआ हो। वह उस परियोजना को उOग्रO राज्य उच्च शिक्षा परिषद की अनुमति से स्थानान्तरित करा सकेगा।

### 3. परियोजना का स्वरूप एवं मानक :

रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत सामान्यतः 02 प्रकार के प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे:-

#### क- वृहद शोध परियोजना

1. वृहद शोध परियोजना की अधिकतम धनराशि रू0 15.00 लाख तथा अवधि 03 वर्ष की होगी।

2. वृहद शोध परियोजना के लिए प्रमुख शोधकर्ता (Principal Investigator) का किसी सरकारी शोध संस्था से पूर्व में न्यूनतम 02 वृहद परियोजना संचालित/निर्देशित करने का अनुभव तथा 15 वर्ष का शोध क्षेत्र में अनुभव के साथ-साथ UGC/CARE Listed (After-2016) जर्नल्स में कम से कम 20 शोध पत्र प्रकाशित हो।

**ख- लघु शोध परियोजना**

1. लघु शोध परियोजना की अधिकतम धनराशि रू0 05.00 लाख तथा अवधि 03 वर्ष की होगी।
2. लघु शोध परियोजना के लिए 10 वर्ष का शोध अनुभव एवं उच्च स्तरीय जर्नल्स में कम से कम 10 शोध पत्र प्रकाशित हो।

**4. वित्तीय सहायता की श्रेणी :**

किसी शोध परियोजना की सहायता की श्रेणी निम्न प्रकार से होगी:

**अनावर्ती (Non recurring) अनुदान (योजना की कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत)**

- (क) उपकरण अनुदान का उपयोग प्रस्तावित शोधकार्य के लिए आवश्यक अनिवार्य उपकरणों को क्रय तथा उनकी ए.एम.सी. के लिए किया जायेगा, जिनका उल्लेख परियोजना प्रस्ताव में हों।

**आवर्ती (Recurring) अनुदान**

- (क) कर्मचारी सेवाओं (Man Power) के लिए  
(ख) आकस्मिकता (Contingency)  
(ग) रसायन और उपभोग्य वस्तुएं आदि (Chemicals and consumables etc.)  
(घ) यात्रा और फील्ड कार्य (Travel and field work)

इसका उपयोग सम्मेलन, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने, आंकड़ा संग्रह करने इत्यादि के लिए किया जायेगा।

**5. आवेदन के लिए प्रक्रिया :**

- (1) विश्वविद्यालयों के विभागों/संस्थानों के सभी शोधकर्ता अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर कुलपति के अनुमोदनोपरांत कुलसचिव के माध्यम से, राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के सभी शोधकर्ता अपने विभाग से संबंधित परियोजना का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा के अनुमोदनोपरांत शासन को 1 अप्रैल से 31 मई तक उपलब्ध कराये जाएंगे, जिन्हें शासन द्वारा विशेषज्ञ समिति से मूल्यांकित कराने हेतु उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को भेजा जाएगा। समयान्तर्गत साफ्ट कॉपी ई-मेल से प्रेषित करेंगे।

कोविड-19 के दृष्टिगत वर्ष 2020-21 के लिए यह समय सीमा 15 दिसम्बर तक बढ़ायी जाती है। समयान्तर्गत साफ्ट कॉपी ई-मेल से प्रेषित करेंगे।

- (2) प्राप्त प्रस्तावों को उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा आवेदन प्रक्रिया के अनुसार गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। समिति द्वारा राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत थ्रस्ट एरियाज का चिन्हीकरण किया जायेगा, इस कार्य हेतु समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सामान्यतया कुल अर्ह पाये गये प्रस्तावों में 33.3 प्रतिशत प्रस्ताव विज्ञान वर्ग के, 33.3 प्रतिशत प्रस्ताव वाणिज्य एवं प्रबन्धन वर्ग से तथा शेष 33.3 प्रतिशत अन्य विषयों के हों। 50 प्रतिशत प्रस्ताव विश्वविद्यालय से व 50 प्रतिशत महाविद्यालय से होंगे। उचित पाये गए प्रस्तावों के संबंध में समिति द्वारा वित्तीय सहायता में यह विभाजन प्रस्तावों की उपलब्धता तथा गुणवत्ता के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।
- (3) विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियाँ अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरांत उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायी जाएंगी। विशेषज्ञ समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	-	अध्यक्ष
2. विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ	-	सदस्य
3. वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के दो विशेषज्ञ	-	सदस्य
4. अन्य विषय के दो विशेषज्ञ	-	सदस्य
5. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	-	सचिव
6. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य

8. अनुदान की प्रक्रिया :

- (1) विशेषज्ञ समिति द्वारा किसी परियोजना के प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के प्रस्ताव के सापेक्ष किसी एक वर्ष के लिए संस्तुत अनुदान एकमुश्त अवमुक्त किया जाएगा, जिसके कारण उस वर्ष की देयता आगामी वित्तीय वर्ष में सृजित नहीं होगी।
- (2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल (एक्सपर्ट पैनल) बनाया जायेगा, जिसमें विभिन्न विषयों/क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त/शिक्षकों/शिक्षाविद/तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के अध्यक्ष होंगे तथा सदस्य सचिव शासन के संबंधित अनुभाग के विशेष सचिव होंगे। संयोजक का कार्य अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा। पैनल के सदस्य सचिव के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की



जायेगी। एक्सपर्ट पैनल की बैठक के आयोजन में होने वाले व्यय आदि का भुगतान संबंधित संस्थान द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

- (3) अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति सहित प्रस्ताव (मूल रूप में) शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (4) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर शासन द्वारा गठित एक्सपर्ट पैनल द्वारा विचार किया जायेगा। एक्सपर्ट पैनल द्वारा दिशा निर्देशों में उल्लिखित पात्रता के अनुसार राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत थ्रस्ट एरियाज का चिन्हीकरण किया जायेगा। तथा तदनुसार उचित पाये गये प्रस्तावों को पैनल द्वारा शासन को वित्तीय सहायता की धनराशि के बारे में अपनी संस्तुति दी जायेगी।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद से प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जायेगा तथा प्रस्तावों की प्रकृति व धनराशि की उपलब्धता के दृष्टिगत सहायता/स्वीकृति प्रदान की जायेगी। किसी प्रस्ताव के लिये पैनल द्वारा संस्तुत धनराशि को उसके गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा उसे कम या अधिक की जा सकती है।
- (6) एक्सपर्ट पैनल यदि आवश्यक समझेगा तो आवश्यकतानुसार प्रस्ताव से सम्बन्धित शिक्षक को प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण (Presentation) हेतु बुलाया जा सकता है।

#### 7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति :

- (1) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के सम्बन्ध में कार्य की प्रगति रिपोर्ट, उपलब्धियों, व्यय आदि की समीक्षा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर निम्नवत् गठित समिति द्वारा की जायेगी:-

1. संबंधित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य - अध्यक्ष
2. प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रमुख शोधकर्ता (Principal Investigator) /सह प्रमुख शोधकर्ता (Co-Principal Investigator) - सदस्य
3. कुलपति/प्राचार्य द्वारा नामित बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य
4. वित्त अधिकारी/महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा नामित प्रतिनिधि - सदस्य
5. कुलसचिव/उप कुलसचिव (शोध)/महाविद्यालय के संबंधित संकाय का वरिष्ठतम सदस्य - सदस्य सचिव

- (2) उक्त समिति द्वारा 06 माह में कार्य के प्रगति की समीक्षा की जायेगी तथा अपनी रिपोर्ट माह अप्रैल एवं अक्टूबर में शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। कुलपति एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी भी छमाही समीक्षा अपने स्तर पर करेंगे और

कमी पाये जाने पर शासन को सूचित करेंगे। रिपोर्ट में कार्य की प्रगति के बारे में स्थिति के साथ ही उपलब्धियों, स्टाफ, धनराशि के व्यय व उपयोग आदि की भी सूचना दी जायेगी। समिति द्वारा शिक्षण, शोध, सहयोग, विस्तार के कार्य, उपकरणों की उपलब्धता एवं उसके संचालन पर होने वाले व्यय आदि की भी मॉनीटरिंग की जायेगी।

- (3) यदि उक्त समिति द्वारा समीक्षा के उपरान्त यह पाया जाता है कि योजना सुचारु रूप से नहीं चल पा रही है और उससे अपेक्षित परिणामी लाभ मिलने की सम्भावना नहीं है तो समिति द्वारा शासन को तदनुसार सूचित किया जायेगा। शासन स्तर से प्रोजेक्ट को भविष्य में धनराशि स्वीकृति करने/न करने अथवा सहायता बन्द करने के बारे में निर्णय किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
- (4) योजनान्तर्गत उपकरणों के लिये दी गई धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि से जो भी उपकरण/यन्त्र/सामान क्रय किये जायेंगे, वे राज्य सरकार की सम्पत्ति माने जायेंगे। उसका पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/निदेशक/पी0आई0 एवं को-पी0आई0 द्वारा रखा जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जायेगा।
- (6) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/निदेशक/पी0आई0 /को-पी0आई0 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय का पूरा विवरण रखा जायेगा जिसे अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की समय-समय पर आयोजित बैठकों में प्रस्तुत किया जायेगा। बैठक के आयोजन आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

#### 8. निष्कर्ष/परिणामी लाभ :

समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय की वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना का लिंक देंगे, जिस पर योजना के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाले समस्त शोध पत्र, सेमिनार/कार्यशाला की प्रोसीडिंग्स, पेपेंट्स, पुस्तकें आदि समस्त सूचनाओं को अपने विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करते हुए उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को उपलब्ध करायेंगे।

#### 9. शासन स्तर पर समीक्षा :

- (1) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में शासन को भेजी जायेगी। जिसमें प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सभी विवरण विस्तार से अंकित किये जायेंगे।

- (2) रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत रवीकृत प्रस्तावों, जिन्हें कार्य करते हुये एक वर्ष से अधिक का समय हो गया हो, की समीक्षा शासन स्तर पर की जा सकेगी। इसके लिये आवश्यकता होने पर शासन योजना से सम्बन्धित दो या तीन विषय विशेषज्ञ नामित कर सकता है। परिणामी लाभों के प्रदर्शन हेतु प्रजेन्टेशन भी कराया जा सकता है।
- (3) योजना के अन्त में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गयी फाइनल रिपोर्ट, शैक्षणिक एवं शोध उपलब्धियों, आधारभूत सुविधाओं, अनुदान राशि के उपभोग, अपेक्षित परिणामी लाभों की प्राप्ति के आधार पर सम्पूर्ण प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा। यदि समीक्षा के उपरांत यह पाया जाता है कि प्रोजेक्ट की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है तो अनुदान की प्रतिपूर्ति संबंधित संस्थान के अनुदान से की जाएगी।
- (4) राज्य सरकार द्वारा शासन के अधिकारी अथवा नामित अधिकारी से योजना का स्थलीय निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कराते हुये समय-समय पर मूल्यांकन कराया जा सकता है।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत शोध परियोजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

इंगित करें-

- वृहद शोध परियोजना  (5 लाख से 15 लाख तक के प्रस्ताव के लिए)  
लघु शोध परियोजना  (अधिकतम रू0 5 लाख के प्रस्ताव के लिए)

**भाग-क**  
**सामान्य सूचनाएं**

1-राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम-

2-विभाग/विषय का नाम:-

3-शोध का विषय(Topic):-

4-विशिष्टता का क्षेत्र:-

5-अवधि:-03 वर्ष

6-प्रमुख शोधकर्ता (P.I):-

(i)नाम:-

(ii) पदनाम/विषय-

(iii) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम

(iv)लिंग:-

(v)जन्मतिथि:-

(vi) कार्यभार ग्रहण की तिथि:- (नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण आदेश लगाये)

(vii) सेवानिवृत्ति की तिथि:-

(viii)श्रेणी:- (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/ओबीसी)

(ix) शैक्षिक योग्यता:- (स्वप्रमाणित प्रति लगाये)

Examinations	Name of the Board / University	Year of Passing	Division/ Class/ Grade	Subjects	Rank and Remark if any
Matriculation/ High School					
Intermediate (10 + 2)					
B.A. / B.Sc. / B.Com. / & equivalent					



(ii)-प्रकाशित पुस्तकें:-(प्रकाशित पुस्तक के कवर पेज सहित अध्याय/शोधपत्रों के रीप्रिन्ट लगाये)

S.N.	Title of Book or chapter with page no.	Publisher Detail	Published by International/National/Local Publishers	Year	ISSN/ ISBN No.	Total No of authors	Whether you are the main author	Annexure No	Page No

(घ) पूर्व में की गयी/संचालित शोध परियोजनाओं का विवरण:-(आबंटन आदेश एवं उपभोग प्रमाण पत्र लगाये)

(i)पूरी की गई शोध परियोजनाएं-

S.N.	Title	Funding Agency	Period	Grant/ Amount Mobilized (Rs Lakhs)	Annexure No	Page No
	Total					

(ii)संचालित शोध परियोजनाएं-

S.N.	Title	Funding Agency	Period	Grant/ Amount Mobilized (Rs Lakhs)	Annexure No	Page No
	Total					

8-सह प्रमुख शोधकर्ता (Co. P.I):-

- (i) नाम:-
- (ii) पदनाम/विषय:-
- (iii) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम:-
- (iv) लिंग:-
- (v) जन्मतिथि:-
- (vi) सेवानिवृत्ति की तिथि:-
- (vii) श्रेणी:- (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/ओबीसी)
- (viii) शैक्षिक योग्यता:-
- (ix) शोध उपाधि(स्वप्रमाणित प्रति लगाए):-
- (x) पता

(क) कार्यालय:-

(ख) आवास:-

(ग) फोन नं० / मो० नं०:-

(घ) ई-मेल :-

9-सह प्रमुख शोधकर्ता का शिक्षण एवं शोध में अनुभव:-

(क) शिक्षण अनुभव:-

(ख) शोध अनुभव:-

(ग) प्रकाशन:-

i-प्रकाशित शोधपत्र:-

ii-प्रकाशित पुस्तकें:-

10-अन्य विवरण यदि कोई हो:-

### भाग-ख

प्रस्तावित शोध कार्य का विवरण

1-परियोजना

(I)शोध कार्य का शीर्षक:-

(II)-प्रस्तावना:-

(III)-प्रस्ताव का विवरण (राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध के संदर्भ में):-

(IV)-उद्देश्य:-

(V)-उद्देश्य प्राप्त करने हेतु मेथडोलॉजी कार्यों एवं लक्ष्यों की वर्षवार योजना:-

(VI) अपेक्षित परिणाम एवं सामाजिक/शैक्षणिक प्रभाव:-

## 2-वित्तीय आवश्यकता:-

क्रम सं०	मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	योग
1	अनावर्ती व्यय का विवरण (अनिवार्य उपकरणों का क्रय आदि) (योजना की कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत)				
2	आवर्ती व्यय का विवरण (सम्मेलन, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने/आकड़ा संग्रह करने आदि)				
(क)	कर्मचारी सेवाओं के लिए				
(ख)	आकस्मिकता				
(ग)	रसायन और उपभोग्य वस्तुएं				
(घ)	यात्रा और फील्ड कार्य				
(ङ)	ओवर हेड चार्ज (10 प्रतिशत)				
महायोग					

3-क्या शिक्षक को किसी अन्य शोध परियोजना हेतु किसी अन्य संस्था से सहायता प्राप्त हुई है यदि हाँ, तो उल्लेख करें:

(i)-उस संस्था का नाम जहाँ से सहायता अनुमोदित हुई है:

(ii)-जिस मंजूरी पत्र द्वारा सहायता अनुमोदित की गई उसकी संख्या और तारीख:

(iii)-अनुमोदित एवं उपयोग की गई राशि:

(iv)-जिस परियोजना के लिए सहायता अनुमोदित की गई उसका शीर्षक:

(v)-यदि परियोजना पूरी की गई है, तो क्या परियोजना का कार्य प्रकाशित किया गया है:

(vi)-प्रस्तावित शोध पत्र के सम्बन्ध में अन्य कोई सूचना (यदि आवश्यक हो):-



## प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

क-विभाग/संस्थान में फर्नीचर/स्थान इत्यादि जैसी सामान्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ख-यदि उपर्युक्त परियोजना के लिए मुझे सहायता प्रदान की जाती है तो इस योजना को शासित करने वाले नियमों का मैं पालन करूँगा/करूँगी।

ग-मैं निर्धारित अवधि में परियोजना पूरी करूँगा/करूँगी। यदि मैं इसे पूरा करने में अक्षम रहता/रहती हूँ और यदि वित्तपोषण संस्था शोध परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं होती है, तो परियोजना को तुरंत समाप्त किया जा सकता है।

घ-उपर्युक्त शोध परियोजना किसी अन्य संस्था द्वारा वित्तपोषित नहीं है।

प्रमुख शोधकर्ता (P.I)  
के हस्ताक्षर  
(तारीख/मुहर)

सहप्रमुख शोधकर्ता (Co.P.I)  
के हस्ताक्षर  
(तारीख/मुहर)

संस्थान के प्रधान  
के हस्ताक्षर  
(तारीख/मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

प्रारूप

महाविद्यालय का नाम	
जिस खाते में पैसा स्थानान्तरित किया जाना है उस खाते का नाम	
बैंक का नाम	
बैंक का पता	
खाता संख्या	
आई0एफ0सी0कोड	

### प्रारूप-II

रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना में किए गए कार्य की वार्षिक/अंतिम रिपोर्ट

--अनुदेश--

1. प्रगति विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाये।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट पर रिपोर्ट, शोध अभिलेखों, मोनोग्राफ, शोधपरियोजना के अंतर्गत प्रकाशित शोध पत्रों का कार्यकारी सारांश (Executive summary) पोस्ट करना अनिवार्य है।
3. बिन्दु- 2 की सूचना उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को अनिवार्य रूप से साफ्टकॉपी में प्रेषित की जाय।
4. शोधकर्ताओं/संस्थाओं द्वारा व्यय संबंधी लेखों का पूर्ण विवरण रखा जाय तथा परियोजना पूर्ण होने की दशा में अवशेष धनराशि (यदि कोई हो) के छः माह के अन्दर शासन को समर्पित की जाय। स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त कोई धनराशि परियोजना पूर्ण किये जाने हेतु देय नहीं होगी।

### रिपोर्ट

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम.....
2. परियोजना प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्तिम) .....
3. संदर्भ संख्या .....
4. रिपोर्ट की अवधि:.....से.....तक
5. शोध परियोजना का शीर्षक.....
6. (क). प्रमुख शोधकर्ता (P.I.) / सह प्रमुख शोधकर्ता (Co.P.I.) का नाम.....  
(ख). सम्बन्धित विभाग/संस्थान का नाम.....  
(ग). परियोजना प्रारम्भ करने की तिथि.....
7. स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष किया गया व्यय विवरण.....  
(क). कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये).....  
(ख). कुल व्यय की धनराशि (रूपये).....  
(ग). परियोजना कार्य का प्रगति विवरण: (संलग्न करें)
  - i. परियोजना का संक्षिप्त उद्देश्य: .....
  - ii. कार्य का पूर्ण विवरण (प्राप्त परिणाम तथा प्रकाशन, यदि हों तो शोध पत्रों के विवरण तथा उन जर्नलों के नाम जिनमें वे प्रकाशित किए गए हैं या प्रकाशन हेतु स्वीकार किए गए हैं)

- iii. क्या प्रगति मूल कार्य योजना के अनुसार तथा उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- iv. अध्ययन के निष्कर्षों का एक सारांश
- v. अन्य कोई विवरण (यदि आवश्यक हो)


**शोध परियोजना के संबंध में किए गए व्यय का विवरण**

- 1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम .....
- 2 प्रमुख शोधकर्ता (P.I.)/ सह प्रमुख शोधकर्ता (Co.P.I.) का नाम .....
- 3 विभाग/संस्थान का नाम.....
- 4 अनुमोदन पत्र संख्या एवं तारीख .....
- 5 शोध परियोजना का शीर्षक.....
- 6 परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि .....
- 7 (क) व्यय की अवधि: .....से ..... तक  
(ख) व्यय का विवरण.....

क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	अनावर्ती व्यय का विवरण (उपकरण आदि)			
2.	आवर्ती व्यय का विवरण			
	(i) प्रोजेक्ट स्टाफ			
	(ii) आकस्मिकता (Contingency)			
	(iii) उपभोग्य सामग्री (Consumables)			
	(iv) यात्रा/फील्ड वर्क			
	(v) Over head charges (10%)			
	महायोग			

**उपभोग प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... विषयक शोध परियोजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या- ..... दिनांक ..... द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान की गयी धनराशि रु0..... (शब्दों में)..... का उपयोग उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है जिसके लिए वह वास्तव में स्वीकृत की गयी हैं।

  
 (योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)  
 विशेष सचिव।


21/02/21  
 1-02-2021

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**उच्च शिक्षा अनुभाग-4**  
**संख्या-331/सत्तर-4-2021**  
**लखनऊ: दिनांक- 01 फरवरी, 2021**  
**कार्यालय ज्ञाप**

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा विभागीय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या-5(3) में उल्लिखित विशेषज्ञ समिति के स्वरूप एवं बिन्दु संख्या-6(2) में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैं:-

क्र० सं०	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था																																										
1	<b>बिन्दु-5 आवेदन की प्रक्रिया</b> (3) <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के दो विशेषज्ञ</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>अन्य विषय के दो विशेषज्ञ</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ</td> <td>सचिव</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table>	1	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	अध्यक्ष	2	विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य	3	वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य	4	अन्य विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य	5	अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	सचिव	6	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य	<b>बिन्दु-5 आवेदन की प्रक्रिया</b> (3) <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के दो विशेषज्ञ</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>अन्य विषय के दो विशेषज्ञ</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ</td> <td>सदस्य सचिव</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table>	1	अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	अध्यक्ष	2	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य	3	निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज	सदस्य	4	विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य	5	वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य	6	अन्य विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य	7	अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	सदस्य सचिव	8	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य
1	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	अध्यक्ष																																										
2	विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य																																										
3	वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य																																										
4	अन्य विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य																																										
5	अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	सचिव																																										
6	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य																																										
1	अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	अध्यक्ष																																										
2	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य																																										
3	निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज	सदस्य																																										
4	विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य																																										
5	वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य																																										
6	अन्य विषय के दो विशेषज्ञ	सदस्य																																										
7	अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	सदस्य सचिव																																										
8	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य																																										
2	<b>बिन्दु-6 अनुदान की प्रक्रिया</b> (2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल (एक्सपर्ट पैनल) बनाया जायेगा, जिसमें विभिन्न विषयों/क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त/ शिक्षकों/शिक्षाविद्/तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के अध्यक्ष होंगे तथा सदस्य सचिव शासन के संबंधित अनुभाग के विशेष सचिव होंगे। संयोजक का कार्य अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा। पैनल के सदस्य सचिव के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की जायेगी। एक्सपर्ट पैनल की बैठक के आयोजन में होने वाले व्यय आदि का भुगतान संबंधित संस्थान द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।	<b>बिन्दु-6 अनुदान की प्रक्रिया</b> (2) "प्राप्त प्रस्तावों पर गाईड-लाइन के बिन्दु संख्या-5(3) में गठित पैनल (एक्सपर्ट पैनल) की बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही सदस्य सचिव/ अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा की जायेगी।"																																										


2- शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समक्षा जाए।

  
(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

  
01/02/2021

आज्ञा से,  
  
(सर्वेश कुमार सिंह)  
उप सचिव।

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**उच्च शिक्षा अनुभाग-4**  
**संख्या-330/सत्तर-4-2021**  
**लखनऊ दिनांक- 31 मई, 2021**  
**कार्यालय ज्ञाप**

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा विभागीय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या-5(3) में उल्लिखित विशेषज्ञ समिति के स्वरूप एवं बिन्दु संख्या-6(2) में कार्यालय ज्ञाप संख्या-331/सत्तर-4-2021, दिनांक 01.02.2021 द्वारा संशोधन किया गया था। सम्यक विचारोपरान्त उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.02.2021 के बिन्दु संख्या-5(3) में निम्नवत् संशोधन किया जा रहा है:-

क्र० सं०	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	बिन्दु-5 आवेदन की प्रक्रिया	बिन्दु-5 आवेदन की प्रक्रिया
	(3)	(3)
	1 अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	1 अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
	2 विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	2 विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
	3 निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज	3 निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज
	4 विज्ञान विषय के दो विशेषज्ञ	4 विज्ञान विषय के एक विशेषज्ञ
	5 वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के दो विशेषज्ञ	5 वाणिज्य एवं प्रबन्ध विषय के एक विशेषज्ञ
	6 अन्य विषय के दो विशेषज्ञ	6 अन्य विषय के एक विशेषज्ञ
	7 अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ	7 सभी विश्वविद्यालयों के शोध प्रमुख/निदेशक
	8 संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	8 अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
		9 संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

➤ इस योजना के प्रस्तावों के संबंध में कोई संशय/पृच्छा होने की दशा में समिति द्वारा संबंधित प्रमुख शोधकर्ता को सुनकर ही प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

2- शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018, दिनांक 15.12.2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-331/सत्तर-4-2021, दिनांक 01.02.2021 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समक्षा जाए।


**श्रवण कुमार सिंह**  
विशेष सचिव।

संख्या- (1)/सत्तर-4-2021 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(सर्वेश कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।